

सं. ई-11011/1/2020-हिन्दी/09

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग

901(द.), सेवा भवन
आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: // जनवरी, 2023

विषय: दिनांक 01.12.2022 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दक्षिणी दिल्ली-2) की बैठक का कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में।

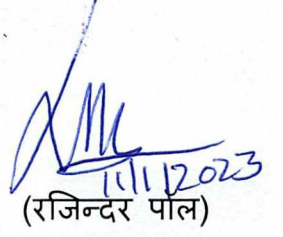
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में, दिनांक 01.12.2022 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अध्यक्ष, के.ज.आ. महोदय ने भाग लिया जिसके कार्यवृत्त की निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:-

1. हिन्दी पत्राचार हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालय द्वारा 'क' क्षेत्र को 100%, 'ख' क्षेत्र को 100% एवं 'ग' क्षेत्र को 65% हिन्दी पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्णतः पालन किया जाए। धारा 3(3) के अंतर्गत 14 प्रकार के दस्तावेज़ आते हैं यथा- सामान्य आदेश, संकल्प, परिपत्र, नियम, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, निविदा प्रारूप, अनुज्ञा पत्र, निविदा सूचनाएं, अधिसूचनाएं, संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र।

उक्त दस्तावेज़ों को द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अनिवार्य है। साथ ही धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी कागजातों का एक अलग फोल्डर बनाया जाए।

3. राजभाषा नियम-5 के अंतर्गत हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाए। जिन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है, उन पत्रों की पावती हिन्दी में अवश्य भेजी जाए।

के.ज.आ. के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि नराकास बैठक के उक्त कार्यवृत्त के अनुपालन हेतु अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से इस अनुभाग को अवगत कराया जाए।



(रजिन्दर पाल)

उप निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 011-29583720

सभी अनुभाग/निदेशालय, के.ज.आ.

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष, के.ज.आ. के प्रधान निजी सचिव
2. सदस्य, नदी प्रबंध/अभिकल्प एवं अनुसंधान/जल आयोजना एवं परियोजना के निजी सचिव
3. मुख्य अभियंता, मानव संसाधन प्रबंध, के.ज.आ. के प्रधान निजी सचिव
4. सचिव, के.ज.आ. के निजी सचिव
5. निदेशक (स्थापना-III), के.ज.आ. के निजी सचिव
6. सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं सदस्य सचिव, नराकास, दक्षिणी दिल्ली-2